

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

चिकित्सा महाविद्यालय

भोपाल,

क्रमांक 541


दिनांक 01/06/2020

क्रमांक 808 / पीजी / 4 / संचिशि / 2020

भोपाल, दिनांक 30/05/2020

// आदेश //

स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं (तृतीय वर्ष) के पाठ्यक्रम की अवधि दिनांक 31 मई, 2020 को समाप्त हो रही है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत इन चिकित्सकों की सेवायें अस्थायी रूप से 03 माह के लिये बढ़ाये जाने हेतु संबंधित शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है। इस अवधि में चिकित्सकों को प्रतिमाह एन.एच.एम. की दर पर मानदेय रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार केवल) देय होगा। उक्त अवधि छात्र/छात्राओं द्वारा पी0जी0 उत्तीर्ण करने के उपरांत उनके द्वारा की जाने वाली अनिवार्य ग्रामीण सेवा की अवधि में विकलनीय होगी।


30/5


आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पू0क्रमांक 809 / पीजी / 4 / संचिशि / 2020

भोपाल, दिनांक 30/05/2020

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, मा0 मुख्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर टीप क्रमांक 129/अमुस/चि.शि./2020 दिनांक 27.05.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर क्रमांक 236/प्र.स./चि.शि./2020 दिनांक 27.05.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- समस्त अधिष्ठाता, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- प्राचार्य, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


30/5

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश



880
01/06/2020